# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

| अपील संख्या | रजि0न0 | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 12/16/2024 | 2024/28 | 20.05.2024 | 10.06.2024 |

1.श्रीराम उर्फ श्रीया पुत्र मंग्या जाट निवासी ग्राम हल्दीना, तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०।

——अपीलान्ट

**बनाम**

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर (राज०)।

——रेस्पोडेन्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व 1956 विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राज0 दिनांक 15.09.2023 प्रकरण संख्या 11/2023।**

उपस्थितः—

01. श्री ओमप्रकाश यादव —वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट

## —:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व 1956 विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राज0 दिनांक 15.09.2023 प्रकरण संख्या 11/2023 से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि तहसीलदार साहब मालाखेडा द्वारा अपील निर्णय 15.09.2023 को मिन अपीलान्ट के पीछे से बाला बाला पारित किया गया है, जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 09.05.2023 को हुई जबकि आराजी मुतनाजा के मौके पर पटवारी हल्का और उसने बताया कि मिन अपीलान्ट ने उसी दिन तहसील परिसन मालाखेडा में जाकर जानकारी की और नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 13.05.2024 को प्राप्त हुई जिसके उपरांत मिन अपीलान्ट ने वकील साहब से सलाह मश्वरा किया तो उन्होने तुरंत प्रभाव से यह अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी। इस प्रकार यह अपील जानकारी दिनांक 09.05.2024 से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है तथा जो देरी हुई है वह उपरोक्त कारणों से हुई है जो धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत माफ किये जाने योग्य है। जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का हल्दीना द्वारा एक रिपोर्ट इस आश्य की प्रस्तुत की कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा न0 1577 रकबा 0.05 है0 किस्म बंजड (सिवायचक) वाके ग्राम हल्दीना पर सम्वत् 2080 में रकबा 0.01 है0 पर पक्का मकान बनाकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अतिक्रमण किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर मिन अपीलान्ट को तलब किया गया मिन अपीलान्ट ने जबाव पेश कर कथन उक्त आरोप बेबुनियाद बताया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.09.2023 को मिन अपीलान्ट के पीछे से बाला बाला निर्णय पारित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बेजा तौर पर आराजी खसरा न0 1577 रकबा 0.05 है0 के रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा जिला अलवर का अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करते हुए लगान 0.04 के 50 गुना कुल 02/–रूपये की शास्ति से दण्डित किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपील पेश की जा रही है।

मिन अपीलान्ट ने अपने जबाब में कथन किया कि मिन अपीलान्ट आराजी खसरा न0 1578 वाके ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा जिला अवलर का खातेदार काश्तकार है। जो कि विवादित आराजी खसरा न0 1577 से लगती हुई है। मिन अपीलान्ट ने अपनी स्वयं की खातेदारी की आराजी खसरा न0 1578 में मकान बनाया हुआ है। इस प्रकार मिन अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही कर रखा है। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा उक्त रिपोर्ट महज द्वेश भावना से प्रेरित होकर पेश की है। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है वह खिलाफ मौका व रिकॉर्ड है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व कोई पैमाईश वगैरा नहीं की है और ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व कोई मौका परीक्षण किया है और ना ही कोई पैमाईश करायी गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर कोई गौर नही किया गया जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। यदि अज्ञानतावश सहबन से विवादित आराजी पर मिन अपीलान्ट के मकान निर्मित पाया जाना साबित होने की स्थिति में मिन अपीलान्ट अपनी खातेदारी की अन्य आराजी जो विवादित आरजी खसरा न0 1577 से बिल्कुल लगती हुई है उससे विवादित आराजी खसरा न0 1577 का रकबा शामिल कर पूर्ण करने के लिए तैयार है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राज0 का निर्णय दिनांक 15.09.2023 प्रकरण संख्या 11/2023 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अपास्त फरमाया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीधे ही बहस करना चाहता है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का हल्दीना की रिपोर्ट दिनांक 14.08.2023 के अनुसार अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा न0 1577 किस्म बंजड रकबा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

0.05 है0 में से 0.01 है0 पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण होना बताया गया है। खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त संवत 2080 वर्ष 2023–24 फसल खरीफ ग्राम हल्दीना पटवार क्षेत्र हल्दीना निरीक्षक क्षेत्र हल्दीना की रिपोर्ट दिनांक 14.08.2023 में भी श्रीराम उर्फ श्रीया पुत्र मंग्या जाट का पक्का मकान (10गुणा15 वर्गमीटर) होना अंकित किया हुआ है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि राजकीय भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 15.09.2023 पारित किया गया है। जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)